

बिहार सरकार
उद्योग विभाग

संकल्प

विषय :-राज्य के महिलाओं के बीच उद्यमिता/स्व-रोजगार को बढ़ावा देने के उद्देश्य से मुख्यमंत्री महिला उद्यमी योजना की स्वीकृति के साथ वित्तीय वर्ष 2021-22 में इस योजना हेतु रु0 200.00 करोड़ (दो सौ करोड़ रुपये) की स्वीकृति।

उद्योग विभागीय संकल्प संख्या-782 दिनांक-17.05.2018 एवं संकल्प संख्या-204 दिनांक 04.02.2020 द्वारा राज्य के अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अति पिछड़ा वर्ग के युवा एवं युवतियों को उद्योग स्थापित करने में अभिरुचि पैदा करने के उद्देश्य से राज्य में मुख्यमंत्री अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अति पिछड़ा वर्ग उद्यमी योजना लागू है। इसी क्रम में राज्य की महिलाओं में उद्यमिता/स्व-रोजगार को बढ़ावा देने के उद्देश्य से मुख्यमंत्री महिला उद्यमी योजना लागू किया जाता है।

2. राज्य की महिलाओं द्वारा स्व-रोजगार हेतु बैंकों से ऋण प्राप्त करने के लिये कोलेटरल सेक्युरिटी (प्रतिभूति) एवं मार्जिन मनी हेतु राशि नहीं रहने के कारण ऋण स्वीकृत नहीं हो पाता है। इसी को ध्यान में रखते हुए उद्योग विभाग, बिहार, पटना के द्वारा राज्य की महिलाओं को उद्योग स्थापित करने हेतु विशेष प्रोत्साहन योजना लागू किया जा रहा है। इस योजनान्तर्गत Transgender को भी समान लाभ दिया जायेगा।
3. इस योजना का कार्यान्वयन बिहार स्टार्टअप फंड ट्रस्ट द्वारा किया जायेगा।
4. इस योजना अन्तर्गत लाभार्थियों की योग्यता निम्नवत है :-
 - i. बिहार के निवासी हों।
 - ii. कम-से-कम 10+2 या इन्टरमीडियट, आई0टी0आई0, पॉलिटेक्निक डिप्लोमा या समकक्ष उत्तीर्ण हो।
 - iii. 18 से 50 वर्ष की आयु सीमा के अन्तर्गत हों।
 - iv. इकाई प्रोपराईटरशीप फर्म, पार्टनरशिप फर्म, LLP अथवा Pvt.Ltd.Company हो।
 - v. प्रोपराईटरशीप व्यवसाय उद्यमी द्वारा अपने निजी PAN पर किया जायेगा।

5. इस योजना अन्तर्गत लाभार्थियों के चयन हेतु अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव, उद्योग विभाग की अध्यक्षता में समिति का गठन निम्नरूपेण किया जाता है :-

- | | | | |
|-------|---|---|---------------|
| i. | अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव, उद्योग विभाग,
बिहार, पटना | — | अध्यक्ष |
| ii. | निदेशक, तकनीकी विकास निदेशालय | — | सदस्य-सह-सचिव |
| iii. | उद्योग निदेशक, बिहार, पटना | — | सदस्य |
| iv. | प्रबंध निदेशक, बिहार राज्य वित्त निगम, पटना | — | सदस्य |
| v. | विभागीय आंतरिक वित्तीय सलाहकार | — | सदस्य |
| vi. | उप उद्योग निदेशक, योजना प्रभारी, उद्योग विभाग | — | सदस्य |
| vii. | महिला विकास निगम, बिहार, पटना के प्रतिनिधि | — | सदस्य |
| viii. | चन्द्रगुप्त प्रबंध संस्थान, पटना के प्रतिनिधि | — | सदस्य |
| ix. | विकास प्रबंधन संस्थान, पटना के प्रतिनिधि | — | सदस्य |
| x. | अध्यक्ष, बिहार उद्योग संघ, पटना | — | सदस्य |
| xi. | अध्यक्ष, बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स एण्ड इंडस्ट्रीज, पटना | — | सदस्य |

6. इस योजनान्तर्गत लाभुकों से ऑनलाईन आवेदन प्राप्त किया जायेगा। चयन समिति द्वारा परियोजना के लिए राशि का मूल्यांकन उद्यमी की आवश्यकताओं को देखते हुए की जायेगी एवं आवश्यक राशि स्वीकृत की जायेगी।

7. इस योजनान्तर्गत प्राप्त आवेदन पत्रों का चयन, राशि की स्वीकृति/विमुक्ति एवं ऋण की वसूली निम्न प्रक्रिया के तहत की जायेगी :-

इस योजनान्तर्गत वित्तीय वर्ष की प्रथम तिमाही के दौरान ऑनलाइन आवेदन प्राप्त किये जायेंगे। लक्ष्य के अनुरूप आवेदन नहीं प्राप्त होने की स्थिति में वित्तीय वर्ष के दूसरे एवं तृतीय तिमाही में भी आवेदन प्राप्त किये जायेंगे। तिमाही की समाप्ति के 15 दिनों के अंदर, अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव की अध्यक्षता में चयन समिति द्वारा विभाग से प्रारंभिक जांच किये गये आवेदनों की सूची को सम्बंधित महाप्रबंधक, जिला उद्योग केन्द्र को भौतिक सत्यापन हेतु अग्रसारित की जायेगी। तत्पश्चात तकनीकी विकास निदेशालय चयनित एवं सत्यापित लाभुकों को प्रशिक्षण एवं DPR बनाने हेतु विभाग द्वारा सूचीबद्ध प्रशिक्षण संस्थानों में 02 सप्ताह के लिए भेजेगी। प्रशिक्षण की समाप्ति के उपरान्त चयन समिति DPR के अनुसार परियोजना की कुल राशि स्वीकृत करेगी जिसकी विमुक्ति अधिकतम दो चरणों में की जायेगी। चरणवार राशि की विमुक्ति का प्रतिशत लाभुक द्वारा चुने हुए उद्यम पर निर्भर करेगा जिसकी विवरणी DPR में वर्णित रहेगा। आवेदक द्वारा प्रथम किश्त की राशि प्राप्त होने की तिथि से 30 दिनों के अंदर व्यय कर महाप्रबंधक, जिला उद्योग केन्द्र के सत्यापन के पश्चात 03 कार्य दिवस के अंदर द्वितीय किश्त की राशि स्वीकृत कर दी जायेगी। अपेक्षित 30 दिनों के अंदर व्यय नहीं हो पाने की स्थिति में महाप्रबंधक व्यक्तिगत अभिरुची लेते हुए लाभुक को 15 दिनों में कार्य पूर्ण करने हेतु आवश्यक सहायता प्रदान करना सुनिश्चित करेंगे। फिर भी कार्य पूर्ण नहीं होने की स्थिति में अग्रेतर कार्यवाही सुनिश्चित किया जाएगा द्वितीय किश्त के विमुक्ति के पश्चात लाभुक द्वारा अधिकतम 45

दिनों में उत्पादन प्रारम्भ करना सुनिश्चित किया जाएगा अन्यथा अग्रेतर कार्यवाही की जायेगी। परिपक्वता अवधि पूर्ण होने के एक माह पूर्व से आवेदक को निर्धारित किस्त के सम्बन्ध में सूचना निर्गत करते हुए ऋण की वसूली सुनिश्चित की जायेगी। इस योजना का लाभ परिवार (पति-पत्नी एवं उनके अवयस्क संतान) के सिर्फ एक सदस्य को दिया जायेगा। योजना के कार्यान्वयन में भविष्य में कोई कठिनाई आती है तो विभाग अपने स्तर से आवश्यक दिशा निर्देश जारी करेगा।

8. इस योजनान्तर्गत उद्योग स्थापित करने वाले लाभुकों को कुल परियोजना लागत (प्रति इकाई) अधिकतम रु0 10.00 लाख का 50 प्रतिशत, अधिकतम रु0 5.00 लाख ब्याज रहित ऋण स्वीकृत किया जायेगा तथा योजना के तहत अंतिम किस्त के भुगतान के 01 (एक) वर्ष के उपरान्त इसकी वसूली बिहार स्टार्ट-अप फंड ट्रस्ट द्वारा 84 सामान किस्तों में की जायेगी। लाभुक द्वारा ऋण की अयादगी समय पर न किये जाने या किसी अन्य प्रकार की वित्तीय अनियमितता किये जाने पर सन्निहित राशि की वसूली सरकारी भू-राजस्व के रूप में की जायेगी। योजना की शेष 50 प्रतिशत राशि, अधिकतम रु0 5.00 लाख विशेष प्रोत्साहन योजनान्तर्गत अनुदान/सब्सिडी के रूप में स्वीकृत की जायेगी। कुल परियोजना लागत 50:50 के ऋण एवं अनुदान में होगी। इसके अतिरिक्त सभी लाभुकों के प्रशिक्षण एवं परियोजना अनुश्रवण समिति (PMA) द्वारा सहायता के लिए प्रति इकाई रु0 25,000/- के दर से व्यय किया जायेगा।

9. इस योजना के अन्तर्गत केवल नये उद्योगों के स्थापना के लिए लाभ देय होगा। इन इकाईयों को बिहार औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन नीति, 2016 का भी लाभ देय होगा।

10. **बजट शीर्ष एवं बजट का उपबंध-** इस राशि की निकासी मुख्य शीर्ष 2851-ग्राम तथा लघु उद्योग, उप मुख्य शीर्ष-00, लघु शीर्ष-102-लघु उद्योग, उपशीर्ष-0109-मुख्यमंत्री युवा महिला उद्यमी योजना-सात निश्चय-2 एवं

मुख्य शीर्ष 6851-ग्राम तथा लघु उद्योगों के लिए कर्ज, उप मुख्य शीर्ष-00, लघु शीर्ष-102-लघु उद्योग, उपशीर्ष-0103-मुख्यमंत्री युवा महिला उद्यमी योजना-सात निश्चय-2 में प्राप्त बजट की राशि से की जायेगी।

11. इस राशि के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, सहायक निदेशक (तक0), तकनीकी विकास निदेशालय, उद्योग विभाग, बिहार, पटना होंगे, जो सचिवालय कोषागार, विकास भवन, पटना से CFMS के माध्यम से बिहार स्टार्ट-अप फंड ट्रस्ट को एकमुश्त राशि उपलब्ध करायेंगे।

12. आवेदन पत्रों की स्वीकृति उपलब्ध बजट अधिसीमा के अन्तर्गत की जायेगी। साथ ही योजना के तहत आवंटित राशि का 75 प्रतिशत व्यय हो जाने पर अतिरिक्त आवंटन की मांग की जायेगी।

13. महिला आबादी के अनुसार इस योजना का जिलावार लक्ष्य निर्धारित किया जायेगा।

14. दिनांक 19.04.2021 को राज्य मंत्रिपरिषद द्वारा मद संख्या- 07 के रूप में प्रस्ताव को स्वीकृत किया गया है।

15. यह योजना संकल्प निर्गत की तिथि से प्रभावी होगी।

बिहार राज्यपाल के आदेश से


(ब्रजेश मेहरोत्रा), 13/5/21

अपर मुख्य सचिव,
उद्योग विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक : 1037 पटना, दिनांक : 13/05/2021

सं0सं0-4तक0/महिला उद्यमी/144/2020

प्रतिलिपि:- अधीक्षक, राजकीय मुद्राणालय, गुलजारबाग, पटना को बिहार राजपत्र के विशेष अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित। अनुरोध है कि प्रकाशित राजपत्र की 1000 प्रतियाँ मुद्रित कर विभाग को उपलब्ध कराया जाय।

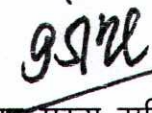

अपर मुख्य सचिव, 13/5/21

उद्योग विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक : 1037 पटना, दिनांक : 13/05/2021

सं0सं0-4तक0/महिला उद्यमी/144/2020

प्रतिलिपि:- महालेखाकार(ले0 एवं हक0), बिहार, पटना/कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, विकास भवन, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।


अपर मुख्य सचिव, 13/5/21

उद्योग विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक : 1037 पटना, दिनांक : 13/05/2021

सं0सं0-4तक0/महिला उद्यमी/144/2020

प्रतिलिपि:- सभी विभागाध्यक्ष/सभी प्रमंडलीय आयुक्त/सभी जिला पदाधिकारी/सभी उप विकास आयुक्त/मुख्यमंत्री, बिहार के प्रधान सचिव/सचिव/मंत्री, उद्योग के आप्त सचिव/अपर मुख्य सचिव, उद्योग विभाग, बिहार, पटना के प्रधान आप्त सचिव/सचिव, उद्योग विभाग, बिहार, पटना के आप्त सचिव/उद्योग निदेशक, बिहार, पटना/निदेशक, तकनीकी विकास, बिहार, पटना/निदेशक, खाद्य प्रसंस्करण/निदेशक, हस्तकरघा एवं रेशम/सभी महाप्रबंधक, जिला उद्योग केन्द्र को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


अपर मुख्य सचिव, 13/5/21

उद्योग विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक : 1037 पटना, दिनांक : 13/05/2021

सं०सं०-4तक०/महिला उद्यमी/144/2020

प्रतिलिपि:- मुख्य सचिव, बिहार, पटना के विशेष कार्य पदाधिकारी/विकास आयुक्त, बिहार, पटना के प्रधान आप्त सचिव को सूचनार्थ प्रेषित।


अपर मुख्य सचिव, 13/5/21

उद्योग विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक : 1037 पटना, दिनांक : 13/05/2021

सं०सं०-4तक०/महिला उद्यमी/144/2020

प्रतिलिपि:- आई०टी० प्रबंधक, उद्योग विभाग, बिहार, पटना को संकल्प की प्रति विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु सूचनार्थ प्रेषित।


अपर मुख्य सचिव, 13/5/21
उद्योग विभाग, बिहार, पटना।